रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03022024-251779
CG-DL-E-03022024-251779

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 421] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 2, 2024/माघ 13, 1945
No. 421] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 2, 2024/MAGHA 13, 1945

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2024

का.आ. 449(अ).—दिनांक 17.08.2006 को अधिसूचित और दिनांक 16.05.2016 को यथासंशोधित मुख्य वैद्युत निरीक्षक और वैद्युत निरीक्षकों की अर्हता, शक्ति और कार्य नियमावली, 2006 (जिसे इसके बाद "उक्त नियमावली" कहा गया है) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 162 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतदद्वारा दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी) के निम्नलिखित अधिकारियों को, इस अधिसूचना की तारीख से दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड(डीएमआरसी) में उनके कार्यकाल तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, उपर्युक्त नियमों में उल्लिखित अर्हता और शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए मुख्य वैद्युत निरीक्षक और वैद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है:-

क्रम सं.	नाम (श्री)	अर्हता	अनुभव	के रूप में नियुक्तियों हेतु प्रस्तावित
1	मनुज सिंघल	बीई (इलेक्ट्रिकल) एमई (कंट्रोल एंड इंस्ट्रुमेंटेशन)	27	मुख्य वैद्युत निरीक्षक
2	श्रीनिवास अग्रवाल	बीई (इलेक्ट्रिकल) एमई (कंट्रोल एंड इंस्ट्रुमेंटेशन)	26	मुख्य वैद्युत निरीक्षक
3	दिविंदर सिंह परमार	बी.टेक (इलेक्ट्रिकल)	30	मुख्य वैद्युत निरीक्षक

4	आशीष श्रीवास्तव	बीई (इलेक्ट्रिकल) एमई (मेजरमेंट एंड इंस्ट्रुमेंटेशन)	25	मुख्य वैद्युत निरीक्षक
5	मलय साहा	बीई (इलेक्ट्रिकल)	30	मुख्य वैद्युत निरीक्षक
6	सुबोध पांडे	बीई (इलेक्ट्रिकल)	33	मुख्य वैद्युत निरीक्षक
7	पंकज कुमार गुप्ता	बी.टेक (इलेक्ट्रिकल)	24	मुख्य वैद्युत निरीक्षक
8	हितेंद्र मल्होत्रा	बीई (इलेक्ट्रिकल)	33	मुख्य वैद्युत निरीक्षक
9	यशपाल सिंह मलिक	बी.टेक (इलेक्ट्रिकल) एम.टेक (इलेक्ट्रिकल)	29	मुख्य वैद्युत निरीक्षक
10	हरीश चंद्र मीना	बीई (इलेक्ट्रिकल)	34	मुख्य वैद्युत निरीक्षक
11	सत्य प्रकाश धस्माना	एएमआईई (इलेक्ट्रिकल) चार्टर्ड इंजीनियर	26	मुख्य वैद्युत निरीक्षक
12	राजेश अग्रवाल	बीई (इलेक्ट्रिकल) एम.टेक. (कंप्यूटर साइंस)	26	मुख्य वैद्युत निरीक्षक
13	राजीव सक्सैना	बीई (इलेक्ट्रिकल)	21	मुख्य वैद्युत निरीक्षक
14	विजेंदर चौधरी	बी.टेक (इलेक्ट्रिकल)	19	वैद्युत निरीक्षक

उपरोक्त उल्लिखित अधिकारी, समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार, डीएमआरसी द्वारा अधिकृत क्षेत्रों के भीतर अथवा डीएमआरसी के नियंत्रणाधीन डीएमआरसी के स्वामित्व वाले कार्यों और विद्युत प्रतिष्ठानों के संबंध में वैद्युत कार्यों, वैद्युत संस्थापनाओं तथा वैद्युत रोलिंग स्टॉक के संबंध में अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे और अपने कार्य निष्पादित करेंगे।

यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपरोक्त अधिकारी किसी विद्युत कार्य या संस्थापना के संबंध में मुख्य वैद्युत निरीक्षक/वैद्युत निरीक्षक के रूप में कार्य नहीं करेंगे, जिसका निष्पादन या रखरखाव उनकी जिम्मेदारी है।

मुख्य वैद्युत निरीक्षक और वैद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति वह प्रशिक्षण लेंगे जिसे केंद्र सरकार इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे तथा ऐसा प्रशिक्षण सरकार की संतुष्टि के स्तर तक पूरा किया जाएगा।

[फा. सं. 42/2/2023-आरएण्डआर]

पीयूष सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2024

S.O. 449(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 162 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with Qualification, Power and Function of Chief Electrical Inspector and Electrical Inspectors Rules, 2006 (hereinafter called the said Rules) notified on 17.8.2006 and as amended on 16.05.2016, the Central Government hereby appoints the following officers of Delhi Metro Rail Corporation Ltd (DMRC) as Chief Electrical Inspectors and Electrical Inspector for Delhi Metro Rail Corporation Ltd, from the date of this Notification till his tenure in Delhi Metro Rail Corporation Ltd (DMRC) or till further orders, whichever is earlier, subject to fulfillment of the qualification and condition mentioned in the said Rules:-

S.No.	**Name (Shri)**	**Qualification**	**Experience**	**Proposed for Appointments as**
1	Manuj Singhal	BE (Electrical) ME (Control and Instrumentation)	27	Chief Electrical Inspector

2	Shriniwas Agrawal	BE (Electrical) ME (Control and Instrumentation)	26	Chief Electrical Inspector
3	Devinder Singh Parmar	B.Tech (Electrical)	30	Chief Electrical Inspector
4	Ashish Shrivastava	BE (Electrical) ME (Measurement and Instrumentation)	25	Chief Electrical Inspector
5	Malay Saha	BE (Electrical)	30	Chief Electrical Inspector
6	Subodh Pandey	BE (Electrical)	33	Chief Electrical Inspector
7	Pankaj Kumar Gupta	B. Tech (Electrical)	24	Chief Electrical Inspector
8	Hitendra Malhotra	BE (Electrical)	33	Chief Electrical Inspector
9	Yashpal Singh Malik	B. Tech (Electrical) M. Tech (Electrical)	29	Chief Electrical Inspector
10	Harish Chandra Meena	BE (Electrical)	34	Chief Electrical Inspector
11	Satya Prakash Dhasmana	AMIE (Electrical) Chartered Engineer	26	Chief Electrical Inspector
12	Rajesh Agrawal	BE (Electrical) M.Tech.(Computer Science)	26	Chief Electrical Inspector
13	Rajeev Saxena	BE (Electrical)	21	Chief Electrical Inspector
14	Vijender Choudhary	B. Tech (Electrical)	19	Electrical Inspector

The above mentioned officers shall exercise the powers and perform his functions in respect of electrical works, electrical installations and electrical rolling stock in operation within the areas occupied by the DMRC or in respect of work and electrical installations under the control of DMRC/belonging to DMRC as per the procedure provided in Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010, as amended from time to time.

It shall be ensured that above said officers shall not function as Electrical Inspectors in respect of any electrical work or installation, the execution or maintenance of which is his responsibility.

The officers appointed as Chief Electrical Inspectors and Electrical Inspector shall undergo such training as the Central Government may consider necessary for the purpose and such training shall be completed to the satisfaction of the Government.

[F.No.- 42/2/2023-R&R]

PIYUSH SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.02.03 15:32:29 +05'30'